



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1428/2023

संतकुमार बांधे पिता स्व. देवबांधे, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम- भरनी, थाना - धमधा, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: पुलिस थाना- बेरला, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

दाण्डिक अपील क्रमांक 1647/2023

1- रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे, पिता प्रेमचंद देशलहरे, आयु लगभग 27 वर्ष।

2- प्रेमचंद देशलहरे, पिता समय दास देशलहरे, आयु लगभग 65 वर्ष।

दोनों निवासी वार्ड नं. 07, सतनामीपारा, बेरला, थाना- बेरला, जिला- बेमेतरा (छ.ग.)।

---अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: पुलिस थाना- बेरला, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

(वाद-शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थीगण की ओर से :श्री पलाश तिवारी, अधिवक्ता {दाण्डिक अपील क्रमांक 1428/2023}

श्री पुष्पेंद्र कुमार पटेल, अधिवक्ता {दाण्डिक अपील क्रमांक 1647/2023}

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, उप-महाधिवक्ता

सुनवाई की तिथि : 11/11/2025

निर्णय की तिथि : 02/12/2025

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

द्वारा: रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति



1. अपीलार्थीगण ने ये अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्त में, द.प्र.सं.) की धारा 374(2) के अधीन विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला बेमेतरा द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 46/2022 में दिनांक 06.04.2023 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत की हैं, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया है:

धारा के अधीन दोषसिद्धि	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम दण्डादेश
------------------------	---------------	----------	--------------------

संतकुमार बांधे

भारतीय दंड संहिता 302, 34 (संक्षिप्त में भा.द.सं.)	आजीवन कारावास	रु. 1000/-	1 माह
भा.द.सं. 120-ख	10 वर्ष	रु. 1000/-	1 माह

रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे

भा.द.सं. 120-ख	10 वर्ष	रु. 1000/-	1 माह
----------------	---------	------------	-------

2. अपीलार्थीगण/दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख और धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोप लगाए गए थे। आरोप के अनुसार, दिनांक 20.07.2022 की सुबह 11:30 बजे से 21.07.2022 के दोपहर 1:45 बजे के बीच, बोरियाबांध बेरला (करोकन्या मंदिर के पीछे), थाना बेरला, जिला-बेमेतरा में, उन्होंने फरार अभियुक्त पारस उर्फ टेहकू रात्रे के साथ मिलकर धर्मेन्द्र देशलहरे (एतस्मिन पश्चात जिसे 'मृतक' कहा गया है) की हत्या करने का षडयंत्र रचा और उक्त आपराधिक षडयंत्र के अधीन अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में, मृतक के गर्दन, सिर और जबड़े पर ब्लेड, पत्थर और एक पाव के शराब की बोतल से घातक चोटें पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 21.07.2022 को लगभग दोपहर 3:20 बजे, सूचनादाता मनहरण देशलहरे (अ.सा.-1) ने मृतक की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि दिनांक 21.07.2022 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वह अपने घर पर था, तभी उसके चाचा दुखवा देशलहरे (अ.सा.-2) ने उसे बताया कि उसका चचेरा भाई अर्थात् मृतक अपीलार्थी-प्रेमचंद देशलहरे का पुत्र, आयु 32 वर्ष, निवासी मिनी माता पारा बेरला, बोरिया बांध बेरला में कारो कन्या मंदिर के पीछे मृत पड़ा है। इसके बाद वह अपने चाचा दुखवा देशलहरे (अ.सा.-2) और मोहल्ले के अजौर दास देशलहरे (अ.सा.-3), भवानी राम बाजरे (अ.सा.-5) के साथ बोरिया बांध बेरला के पास पहुँचा और देखा कि मृतक मृत पड़ा था। उसके सिर के बाईं ओर, बाएं कान के ऊपर और उसकी गर्दन के बाईं ओर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर गंभीर चोटें पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी थी। सूचनादाता की उक्त सूचना के आधार पर देहाती मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) दर्ज की गई और मौके पर देहाती नालिशी (प्रदर्श पी/2) दर्ज करने



तथा मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन(प्रदर्श पी/5) तैयार करने के बाद, मृत शरीर को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया। बेरला थाने में मर्ग सूचना क्रमांक 70/2022 (प्रदर्श पी/40) दर्ज करने और विवेचना के उपरांत, अभियुक्तों के विरुद्ध बेरला थाने में अपराध क्रमांक 274/2022 के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी/41) पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सत्र न्यायालय, बेमेतरा को उपापित किया गया।

4. अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120-ख और 34 के अधीन आरोप विरचित किए गए और उन्हें पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अपीलार्थीगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण चाहा।

5. आरोपों को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 34 साक्षियों का परीक्षण किया, जिनके नाम हैं: मनहरण देशलहरे (अ.सा./1), दुखवा देशलहरे (अ.सा./2), अंजोरदास देशलहरे (अ.सा./3), चंद्रभूषण कुर्रे (अ.सा./4), भवानीराम बंजारे (अ.सा./5), उषा देशलहरे (अ.सा./6), राजेश गायकवाड़ (अ.सा./7), कृष्ण कुमार देवांगन (अ.सा./8), लवकुश साहू (अ.सा./9), भीखम सिंह साहू (अ.सा./10), सामलदास मानिकपुरी (अ.सा./11), गोवर्धन पटेल (अ.सा./12), सहसराम ध्रुव (अ.सा./13), शंकर साहू (अ.सा./14), देवा बांधे (अ.सा./15), निखलेश सिवाना (अ.सा./16), नर्मदा रात्रे (अ.सा./17), बीरेंद्र साहू (अ.सा./18), अमेश कुमार साय (अ.सा./19), देवेंद्र साहू (अ.सा./20), तुकाराम निषाद (अ.सा./21), नासिर खान (अ.सा./22), रामसिंह गायकवाड़ (अ.सा./23), अमरनाथ साहू (अ.सा./24), लता टंडन (अ.सा./25), प्रियंका देशलहरे (अ.सा./26), पूनासिंह राजपूत (अ.सा./27), दीनानाथ यादव (अ.सा./28), डॉ. नरेंद्र कुमार माहेश्वरी (अ.सा./29), हेमंत वर्मा (अ.सा./30), कमल नारायण शर्मा (अ.सा./31), बालकरण मारकंडे (अ.सा./32), संजीव नेमा (अ.सा./33) और मनोहर बाबू भूपति (अ.सा./34)। साथ ही 89 प्रदर्श और 6 वस्तुएं प्रदर्शित की गईं।

6. बचाव में, अपीलार्थीगण ने अपने प्रकरण के समर्थन में न तो किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किया।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थीगण के कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने प्रश्नों पर अनभिज्ञता व्यक्त की और उनमें से कुछ से इनकार भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और दोषमुक्ति की प्रार्थना की।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, अपीलार्थीगण/अभियुक्तों को इस निर्णय प्रथम कण्डिका में विस्तृत विवरणानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। अतः, अपीलार्थीगण/दोषियों द्वारा यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।



9. अपीलार्थी संतकुमार बांधे की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पलाश तिवारी का तर्क है कि अपीलार्थी को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। अभियोजन मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है क्योंकि कथित अपराध का कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रत्यक्ष साक्ष्य या अभियुक्त को अपराध से सीधे जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी, प्रस्तुत साक्ष्यों की पर्याप्तता और विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। इसके अतिरिक्त, दोषसिद्धि अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित है। अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत उन प्रकरणों में लागू होता है जहाँ अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखे जाने और मृतक का शव मिलने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना नगण्य हो जाए। हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन का इस सिद्धांत का अवलंब लेना निराधार है क्योंकि अभियुक्त को कथित तौर पर मृतक के साथ केवल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा गया था, जो कि द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी फुटेज के अलावा ऐसा कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है जो यह स्थापित कर सके कि कथित हत्या के सटीक समय पर अभियुक्त मृतक के साथ था। साक्ष्य का यह अंतराल परिस्थितियों की श्रृंखला को तोड़ता है, जिससे अभियोजन का मामला कमजोर होता है और अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत की प्रयोज्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, निर्णायक फॉरेंसिक साक्ष्य का भी अभाव है क्योंकि अभियोजन ने केवल रक्त रंजित कपड़े और मोबाइल फोन की जब्ती को साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया है। यद्यपि, अभियुक्त को सीधे अपराध से जोड़ने वाले निर्णायक फॉरेंसिक निष्कर्षों जैसे कि डीएनए मिलान या अभियुक्त के उंगलियों के निशान की अनुपस्थिति में, ऐसे साक्ष्य को युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त माना जा सकता है। चूंकि इस प्रकरण में रक्त समूह का विश्लेषण अनिर्णायक है, इसलिए अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाला कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

10. श्री तिवारी का आगे तर्क है कि वित्तीय संव्यवहार भी प्रत्यक्ष रूप से अपराध से जुड़े हुए नहीं थे। अभियोजन द्वारा दिनांक 11.07.2022 को ₹60,000/- और 25.07.2022 को ₹50,000/- के आहरण को आपराधिक षडयंत्र के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। यद्यपि, ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में जो यह प्रदर्शित करें कि इन निधियों का उपयोग स्पष्ट रूप से कथित अपराधियों को भुगतान करने के लिए किया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख की प्रयोज्यता विधिक रूप से विवादास्पद बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, कथित अपराध के साथ साबित संबंध के बिना, केवल वित्तीय संव्यवहार किसी आपराधिक षडयंत्र को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त की आयु मात्र 21 वर्ष थी और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन ने पिछले अपराधों के इतिहास या अभ्यस्त आपराधिक आचरण को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार, अपीलार्थी दोषमुक्त होने का पात्र है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया है। **शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**{(1984) 4 एससीसी 116},



रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी व एक अन्य विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य {(2006) 10 एससीसी 172},
कन्हैयालाल विरुद्ध राजस्थान राज्य {(2014) 4 एससीसी 715} और अर्जुन मारिक विरुद्ध बिहार
राज्य {(1994) सप्प. 2 एससीसी 372}.

11. अपीलार्थीगण रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र कुमार पटेल का यह तर्क है कि अपीलार्थीगण, मृतक के भाई और पिता हैं और वे मृतक के विरुद्ध ऐसे जघन्य अपराध का षड्यंत्र नहीं रच सकते। मात्र इस कारण से कि मृतक शराबी था, अपीलार्थीगण मृतक की हत्या कारित करने के लिए भाड़े के हत्यारों को नियुक्त नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रश्नगत अपराध के साथ कोई संबंध स्थापित हो सके। आपराधिक षड्यंत्र को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जब अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोपित मुख्य अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि भी अपास्त किया जाए और अपीलार्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

12. दूसरी ओर, विद्वान उप-महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर का यह तर्क है कि अपीलार्थी-संतकुमार बांधे और फरार अभियुक्त को मृतक के साथ शराब खरीदते समय अंतिम बार देखा गया था। अभिलेख पर अपीलार्थीगण को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके लिए उन्हें दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है। श्री ठाकुर का आगे यह तर्क है कि यद्यपि राज्य ने अपीलार्थीगण-रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, तथापि धारा 120-ख के अधीन उनकी दोषसिद्धि सुस्थापित है। साक्षियों के कथन और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण बनाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

14. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी-प्रेमचंद देशलहरे मृतक का पिता है और रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे मृतक का भाई है। यह भी निर्विवाद है कि मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी, जो शवपरीक्षण प्रतिवेदन (अनुलग्नक पी/76) और डॉ. नरेंद्र कुमार माहेश्वरी (अ.सा.-29) के कथन से स्पष्ट है। उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया है कि मृत्यु का कारण गर्दन की चोट के कारण रक्तवाहिकाओं के फटने से उत्पन्न रक्तस्राव के कारण सदमा था और मृत्यु प्रकृति में मानववध बताई गई थी। यह तथ्य का निष्कर्ष है और हम उक्त निष्कर्ष से सहमत हैं।



15. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थी-संतकुमार बांधे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 120-ख के अधीन, तथा अपीलार्थीगण-रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में न्यायसंगत था?

16. अभियोजन का प्रकरण यह है कि मृतक शराबी था और शराब के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु भूमि और संपत्तियां बेचकर परिवार में उपद्रव करता था। अपीलार्थी-रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे मृतक का सगा भाई है, जबकि अपीलार्थी-प्रेमचंद देशलहरे मृतक का पिता है। अभियोजन का पक्ष यह है कि इन दोनों अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या करने के लिए अपीलार्थी-संतकुमार बांधे और फरार आरोपी पारस उर्फ टेहकू रात्रे को भाड़े के हत्यारे के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अपीलार्थी-संतकुमार बांधे और फरार आरोपी पारस उर्फ टेहकू रात्रे को ₹50,000/- की राशि में हत्या करने की सुपारी दी थी।

18. सुलभ संदर्भ हेतु, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख नीचे उद्धृत की गई है:

"120 ख. आपराधिक षड्यंत्र का दंड- (1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 109 दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान करती है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है। उक्त धारा निम्नानुसार है:

109. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।



स्पष्टीकरण- कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

20. शब्द दुष्प्रेरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

“107. किसी बात का दुष्प्रेरण- वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो-

पहला- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा- उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा- उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपास करता है अथवा कारित या उपास करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।”

21. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण—रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है और उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है, यद्यपि, उन दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या 302/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। जब इन दोनों अपीलार्थीगण को उस मुख्य अपराध अर्थात् मृतक की हत्या कारित करने से दोषमुक्त कर दिया गया है, जिसके लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था, तो धारा 120-ख के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश यथावत नहीं रह सकता। अतः हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि अपीलार्थीगण—रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को धारा 120-ख के अधीन दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

22. इसके अतिरिक्त, विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 120-ख के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थीगण—रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को 10 वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया है, जो इसलिए भी संधारणीय नहीं है क्योंकि यदि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को मृतक की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में उक्त अपराध का दोषी माना था, तो



उन्हें न्यूनतम वही दंड दिया जाना चाहिए था जो अपीलार्थी-संतकुमार बांधे को धारा 302/34 के अधीन दिया गया था।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सचिन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य** {2025 एससीसी आनलाइन एससी 834} के प्रकरण में, इस प्रकरण के समान ही एक विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नानुसार अवधारित किया:

“22.2 गोविंद रामजी जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1990) 4 एससीसी 718 ("गोविंद रामजी जाधव") के प्रकरण में प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय को, राज्य द्वारा अपर्याप्तता के आधार पर दंडादेश बढ़ाने की अपील के अभाव में, अपीलार्थी को नोटिस जारी किए बिना और दंडादेश में ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिए बिना, दंडादेश बढ़ाने का अधिकारिता प्राप्त था। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के समक्ष दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील प्रस्तुत की थी। उच्च न्यायालय ने दंडादेश में वृद्धि करते समय न तो अपीलार्थी को नोटिस जारी किया और न ही उसे उक्त वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर प्रदान किया। दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के अधीन उक्त दंडादेश में वृद्धि के लिए कोई अपील भी नहीं थी। यह अवधारित किया गया कि उच्च न्यायालय को दंडादेश में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है, चाहे वह धारा 397 सहपठित धारा 401 के अधीन अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो या धारा 377 सहपठित धारा 386(ग) के अधीन अपने अपीलीय अधिकारिता का, जो कि धारा 386 के परंतुक (1) और (2) के अधीन है। दंडादेश में वृद्धि के लिए धारा 397 सहपठित धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते समय अभियुक्त को अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

इस न्यायालय के कतिपय निर्णयों का संदर्भ देते हुए यह अवधारित किया गया कि धारा 386 दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 374 के अधीन प्रस्तुत अपील के साथ-साथ धारा 377 या 378 के अधीन प्रस्तुत अपील के निराकरण करने में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। धारा 386(ग)(iii) के अधीन, अपीलीय न्यायालय दंडादेश में वृद्धि की अपील में, निष्कर्ष को बदले बिना या बदलकर, दंडादेश की प्रकृति या विस्तार को बदल सकता है ताकि उसे बढ़ाया या कम किया जा सके। उपरोक्त दोनों स्थितियों में, दंडादेश में वृद्धि करने की शक्ति के लिए, अभियुक्त को धारा 386 के प्रथम परंतुक और धारा 377 की उप-धारा (3) के अनुरूप कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह आज्ञापक बनाता है कि अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जाए और दंडादेश में वृद्धि की प्रस्तावित



कार्रवाई पर सुनवाई का अवसर दिया जाए। उक्त प्रकरण के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांत लागू करते हुए यह अवधारित किया गया कि भा.द.सं. की धारा 201 के अधीन दोषसिद्धि के लिए दंडादेश को तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष करना अस्वीकार्य था। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने दंडादेश में वृद्धि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और विचारण न्यायालय के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 2500/- रुपये के अर्थदण्ड व्यतिक्रम खंड सहित अधिरोपित किया गया था।

xxx xxx xxx

24. इस प्रकार, दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में, क्या अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि करते समय दंडादेश बढ़ाकर अभियुक्त को और अधिक प्रतिकूल स्थिति में डाल सकता है? ऐसी स्थिति में, अभियुक्त-अपीलार्थी के लिए यह बेहतर होगा कि वह या तो अपनी अपील वापस ले ले या अपील दायर ही न करे!

xxx xxx xxx

26. अपील करने का अधिकार न केवल एक वैधानिक अधिकार है, बल्कि अभियुक्त के प्रकरण में यह एक संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि अभियुक्त को न केवल निर्णय को उसके गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने का अधिकार है अर्थात् उस पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के संबंध में बल्कि विचारण के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर भी चुनौती देने का अधिकार है। अभियुक्त अपनी अपील में उन प्रक्रियात्मक त्रुटियों, अनौचित्य और खामियों को भी प्रश्नगत कर सकता है जो विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि एवं दंडादेश का निर्णय अधिरोपित करने के दौरान की गई हों।

यह अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी के दृष्टिकोण से अपील पर विचार करे और देखे कि क्या गुण-दोष के आधार पर उसका पक्ष मजबूत है, और क्या विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए, या विधि सम्मत पुनः विचारण हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए, या दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए दंडादेश को कम किया जाना चाहिए, या विकल्प के रूप में अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

27. हमारे सुविचारित अभिमत में, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए दंडादेश में वृद्धि नहीं कर सकता। दोषसिद्धि व्यक्ति के आग्रह पर अपने अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय एक पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता, विशेष रूप से तब जब



राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दंडादेश में वृद्धि करने के लिए कोई अपील या पुनरीक्षण दायर न किया गया हो।

xxx xxx xxx

29.1 यद्यपि, इस प्रकरण में हमारे ध्यान का केंद्र यह है कि क्या किसी विशेष प्रकरण में राज्य, शिकायतकर्ता या पीड़ित द्वारा दायर किसी अपील या पुनरीक्षण के अभाव में, और जब अपील केवल अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई हो, तो क्या उच्च न्यायालय अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते समय अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है? दूसरे शब्दों में, जब एक अभियुक्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय को अपास्त करने की मांग कर रहा हो, तो क्या उच्च न्यायालय, किसी अन्य पक्ष से कोई चुनौती न होने की स्थिति में, स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकता है और दंडादेश में वृद्धि करके अभियुक्त को दंडित कर सकता है? भले ही ऐसे अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील में अपने अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। उच्च न्यायालय केवल दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय को अपास्त कर अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है, या ऐसा करते हुए पुनः विचारण का आदेश दे सकता है, अथवा विकल्प के रूप में दोषसिद्धि यथावत रखते हुए दंडादेश कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील में, उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता और दोषसिद्धि यथावत रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध दंडादेश में वृद्धि नहीं कर सकता।

xxx xxx xxx

33. उपरोक्त के तर्क को सरल भाषा में इस प्रकार समझाया जा सकता है कि कोई भी अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करके अपनी स्थिति को पहले से प्रतिकूल नहीं बना सकता। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को विचार में रखते हुए हम अपने निर्णय में ठीक इसी तथ्य को दोहराना चाहते हैं।"

24. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण—रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, तथापि, चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है और केवल धारा 120-ख के अधीन उक्त



अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है, और इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा इन अपीलार्थीगण की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि या दंडादेश में वृद्धि की मांग करते हुए कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड को न तो अधिरोपित कर सकता है और न ही उसमें वृद्धि कर सकता है। अतः, भारी मन से, हम अपीलार्थीगण—रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त करने के लिए विवश हैं।

25. जहाँ तक अपीलार्थी-संतकुमार बांधे के संबंध में अपील का प्रश्न है, उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं क्योंकि मृतक और अपीलार्थी-संतकुमार बांधे को दिनांक 20.07.2022 को देसी शराब की दुकान (प्रदर्श पी/12) और चिकन सेंटर (प्रदर्श पी/15) के सीसीटीवी फुटेज में अंतिम बार एक साथ देखा गया था। उक्त साक्ष्य की संपुष्टि अभियोजन साक्षियों, अर्थात् राजेश गायकवाड़ और कृष्ण कुमार देवांगन (अभियोजन साक्षी-7 और अभियोजन साक्षी-8) के अभिसाक्ष्य से होती है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-संतकुमार बांधे सीसीटीवी फुटेज में मृतक के साथ अपनी उपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है।

26. पुलिस ने अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी/42) के आधार पर रक्तरंजित वस्त्र (प्रदर्श पी/43) और मोबाइल फोन (प्रदर्श पी/44) भी जब्त किए थे, जिसकी संपुष्टि जब्ती के साक्षियों नासिर खान (अभियोजन साक्षी-22), राम सिंह गायकवाड़ (अभियोजन साक्षी-23) और अमरनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-24) के अभिसाक्ष्य से होती है।

27. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/62), जो कि मिट्टी (A और B), ब्लेड (C), टूटी हुई बोतल (D), पॉलिथीन बैग (E), डिस्पोजेबल ग्लास (F), पानी का पाउच (G), रुई (H और I), मृतक की कमीज, पैंट और अंडरवियर (J1, J2 और J3), मृतक के बाल (K), और आरोपी-संतकुमार बांधे की फुल पैंट (L) तथा फुल शर्ट (M) के संबंध में है, यह बताती है कि प्रदर्श A, C, D, E, F, G, H, J1, J2, J3, L और M में रक्त पाया गया था। साथ ही, प्रदर्श C, D, E, F, J1, J2, J3, L और M में मानव रक्त पाया गया था, यद्यपि रक्त समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका।

28. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार, किसी व्यक्ति या अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होता है। हालांकि, उस व्यक्ति/अभियुक्त द्वारा दिए गए मेमोरेंडम कथन का केवल वही हिस्सा ग्राह्य है जो किसी नए तथ्य को प्रकट करता है। इस प्रकरण में भी, अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना के समय उसके द्वारा पहने गए वस्त्रों की जब्ती, बैंक खाते का पासबुक, मोबाइल फोन और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की सीडी, जब्ती मेमो प्रदर्श पी/43, पी/44, पी/47 और पी/48 साक्ष्य में स्वीकार्य हैं। अभियोजन ने उपरोक्त मेमोरेंडम और जब्ती पत्रक के दो स्वतंत्र साक्षियों, रामसिंह गायकवाड़ (अभियोजन साक्षी-23) और



अमरनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-24) के निर्विवाद कथनों के माध्यम से इन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है।

29. इस प्रकरण में, न्यायालय में परीक्षित अभियोजन साक्षी भीखम सिंह साहू (अभियोजन साक्षी-10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ग्राम बेरला के वार्ड नं. 04 स्थित उसके मकान की छत पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दिनांक 22.07.2022 को पुलिस ने उसे उसके घर में लगे सीसीटीवी की दिनांक 20.07.2022 की फुटेज उपलब्ध कराने के संबंध में एक नोटिस दिया था। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिनांक 20.07.2022 की फुटेज देखी थी, जिसमें दो व्यक्तियों को बोरिया बाधा की ओर से आते देखा गया था, जिनमें से एक व्यक्ति काली टोपी पहने हुए था और दूसरा व्यक्ति सफेद रंग की कमीज पहने हुए था और उक्त फुटेज शाम लगभग 5 बजे की थी। इस प्रकार, साक्षी कृष्ण कुमार देवांगन (अभियोजन साक्षी-08) के अभिसाक्ष्य से अभियोजन का प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित प्रतीत होता है कि दिनांक 20.07.2022 को, उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व, अंतिम क्षण में, मृतक को उपरोक्त अपीलार्थी संतकुमार बांधे और फरार अभियुक्त पारस उर्फ टेहकू रात्रे के साथ देखा गया था।

30. इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी देवेन्द्र साहू (अभियोजन साक्षी-20) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी रेखाचंद देशलहरे के मोबाइल नंबर-9301135691 और अपीलार्थी संतकुमार बांधे के मोबाइल नंबर-8815545215 के बीच हुई बातचीत का विवरण उपलब्ध कराने हेतु साइबर सेल बेमेतरा को एक पत्र भेजा गया था, उक्त पत्र के आधार पर दोनों मोबाइल नंबरों के बीच हुई बातचीत का विवरण और ग्राहक आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से थाना बेरला को भेजे गए थे। थाना प्रभारी के निर्देश पर, उसने साइबर सेल बेमेतरा द्वारा भेजी गई ई-मेल सूचना का प्रिंट आउट निकाला, उस पर हस्ताक्षर किए और उसे सत्य के रूप में स्व-प्रमाणित किया। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि पुलिस अधीक्षक बेमेतरा द्वारा जिओ नोडल अधिकारी, म.प्र. एवं छ.ग. को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख का प्रमाणपत्र भेजने के संबंध में भेजा गया ई-मेल पत्र उसके द्वारा अनुप्रमाणित किया गया था (प्रदर्श पी/32)।

31. तुकाराम निषाद (अभियोजन साक्षी-21), जो थाना बेरला में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, ने यह कथन किया है कि थाना प्रभारी नासिर खान के निर्देश पर, उन्होंने दिनांक 13.08.2022 को घटनास्थल बोरियाबांध की वीडियोग्राफी की थी और जब अपीलार्थी संतकुमार बांधे का मेमोरेंडम कथन लिया जा रहा था, तब उन्होंने अपने ओप्पो एंड्रॉइड मोबाइल फोन से उसकी वीडियोग्राफी की थी तथा उक्त मोबाइल फोन का डेटा थाना बेरला की अभिरक्षा में रखा गया था। उन्होंने मोबाइल डेटा को कंप्यूटर में डालकर एक सीडी तैयार की थी। उन्होंने साक्षियों की उपस्थिति में इसे थाना प्रभारी बेरला को सौंप दिया था। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि उपरोक्त सीडी उनके द्वारा की गई वीडियोग्राफी के आधार पर सत्य और सही थी तथा उन्होंने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। इस साक्षी द्वारा तैयार की



गई उपरोक्त सीडी वस्तु ए-1 है। विवेचना अधिकारी नासिर खान (अभियोजन साक्षी-22) ने यह कथन किया कि प्रकरण की विवेचना के दौरान, ग्राम बेरला स्थित देशी शराब दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने पर, दिनांक 20.07.2022 को मृतक की मृत्यु से ठीक पहले दोपहर 12:08 से 12:17 बजे तक और कृष्ण कुमार देवांगन की चिकन शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अवलोकन करने पर, दिनांक 20.07.2022 को दोपहर 03:26 बजे, मृतक धर्मेन्द्र देशलहरे को सफेद लाइन वाली काली टोपी पहने पारस रात्रे के साथ देखा गया था तथा उसी दिनांक 20.07.2022 को शाम 05:05 बजे भीखम साहू (अभियोजन साक्षी-10) के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मृतक को संतकुमार बांधे और पारस रात्रे के साथ देखा गया था, जिसके पश्चात उन्होंने पेन ड्राइव के माध्यम से उक्त तीनों सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और थाने में उसकी सीडी तैयार करवाई जो वस्तु ए-3 से वस्तु ए-5 है।

32. "अंतिम बार साथ देखे जाने" के उपरोक्त साक्ष्यों के संदर्भ में, अब यह साबित करने का भार अपीलार्थी संतकुमार बांधे पर है कि मृतक की मृत्यु कारित किसने की और किन परिस्थितियों में तथा कैसे हुई। हालांकि, अपीलार्थी संतकुमार बांधे ने न तो अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षण के दौरान इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया है। ऐसी स्थिति में, "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत के अनुसार भी, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होगा कि इस प्रकरण में अपीलार्थी-संतकुमार बांधे और फरार आरोपी पारस उर्फ टेहकू रात्रे ने 20 जुलाई, 2022 को सुबह 11:30 बजे से 21.07.2022 को दोपहर 01:45 बजे के बीच, मृतक की गर्दन, सिर और जबड़े पर ब्लेड, पत्थर और शराब की पौवा बोटल से घातक चोटें पहुँचाकर उसकी हत्या की।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जिसने घटना घटित होते हुए देखी हो, तथापि, अभियोजन द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य केवल इसी निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि वह अपीलार्थी-संतकुमार बांधे ही था जिसने मृतक की हत्या कारित की थी।

34. पूर्वोक्त विश्लेषणों के आधार पर, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलार्थीगण-रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलार्थी-संतकुमार बांधे को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश उचित एवं न्यायसंगत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

35. परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण-रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे द्वारा प्रस्तुत अपील **स्वीकार** की जाती है। उनके जेल में होने की सूचना है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हों, तो उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। अपीलार्थी-संतकुमार बांधे द्वारा प्रस्तुत अपील **खारिज** की जाती है। वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दंडादेश की शेष अवधि भुगतेगा।



36. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क(अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थीगण-रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल ₹25,000/- की राशि का एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित प्ररूप क्रमांक 45 के अनुसार प्रस्तुत करें, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। साथ ही, उन्हें यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त अपीलार्थीगण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

37. प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व, हम विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अंगीकृत उस तर्क के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी करना उचित समझते हैं, जिसके अधीन अपीलार्थीगण रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के आरोपों से दोषमुक्त करते हुए और उन्हें केवल धारा 120-ख के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। अभिलेख यह इंगित करता है कि जहाँ अपीलार्थीगण रेखचंद उर्फ जितेंद्र देशलहरे और प्रेमचंद देशलहरे की संलिप्तता की ओर इंगित करने वाली कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार किया गया था, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने मुख्य आरोप, अर्थात् भा.द.सं. की धारा 302/34 पर तदनुरूपी निष्कर्ष अभिलिखित करने से परहेज किया, और इस विचलन के लिए पर्याप्त स्पष्ट कारण भी प्रदान नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन में कुछ हद तक असंगति उत्पन्न हुई है।

38. इस न्यायालय का मंतव्य संबंधित विद्वान विचारण न्यायाधीश पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का नहीं है, तथापि, ऐसे प्रकरणों में जिनमें परस्पर संबंधित आरोप शामिल हों, विशेष रूप से वे जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हों, यह आवश्यक है कि सभी स्थापित परिस्थितियों की सुसंगत तरीके से परीक्षा की जाए और तर्क संपूर्ण कार्यवाही में सुसंगत बने रहें। अतः, विद्वान विचारण न्यायाधीश को भविष्य में ऐसे विवादों पर विचार करते समय अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि निष्कर्ष, षड्यंत्र और मूल अपराध, दोनों को नियंत्रित करने वाले स्थापित विधिक सिद्धांतों को पूर्णतः प्रतिबिंबित करें।

39. विचारण न्यायालय के अभिलेख, इस निर्णय की प्रति के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

40. इस निर्णय की एक प्रति राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्रसारित की जाए, जो बदले में जिला न्यायपालिका के अन्य पीठासीन अधिकारियों को इसे आगे संसूचित करेंगे।



सही/-
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

